न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 41 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. कानसिंह पुत्र शक्तसिंह
2. जेठूसिंह पुत्र गेनसिंह जाति राजपूत निवासी डाबलिया, कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.उदयसिंह पुत्र मेहरसिंह फौत के कायम मुकामः—1 / 1हरीसिंह पुत्र उदयसिंह
1 / 2मूलसिंह पुत्र उदयसिंह
1 / 3बाबूसिंह पुत्र उदयसिंह
1 / 4मनोहरसिंह पुत्र उदयसिंह
1 / 5हवाकंवर पत्नी उदयसिंह जाति रापजूत निवासी डाबलिया, कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
2.धन्नसिंह पुत्र शक्तसिंह
3.उगमसिंह पुत्र गेनसिंह
4.नारायणसिंह पुत्र गेनसिंह
5.श्रवणसिंह पुत्र जसवंतसिंह
6.छोटूसिंह पुत्र जसवंतसिंह
7.बाबूकंवर उर्फ बीबूकंवर पत्नी जसवंतसिंह उतरदाता संख्या 5 व 6 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता बाबूकंवर उर्फ बीबूकंवर उतरदाता संख्या 7
8.रिड़मलसिंह पुत्र हीरसिंह
9.शेम्भूसिंह पुत्र हीरसिंह
10.शैलसिंह पुत्र हीरसिंह
11.जेतमालसिंह पुत्र हीरसिंह
12.सवाईसिंह पुत्र हीरसिंह
13.जतनकंवर पत्नी हीरसिंह
14.गंगासिंह पुत्र पहाड़सिंह जातियान राजपूत निवासी डाबलिया, कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
15.तहसीलदार बायतु
16.शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बी. शाखा बायतु।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बायतु द्वारा बअनवान उदयसिंह बनाम हीरसिंह वगैरा राजस्व वाद संख्या अंकित नहीं में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2011 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रिणछाराम सियाग अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 व 7 से 14 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 17.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के कैम्प बायतु में दिनांक 15.01.2011 को मात्र चार लाईन का सामान्य प्रार्थना–पत्र इस विषय "खातेदारी में नाम नहीं सो मेरी भूमि में नाम डालने के संबंध में" बाबत् पेश किया, जिस आवेदन में कोई खसरा संख्या, रकबा व गांव आदि का नाम तक अंकित नहीं है। जिस पर प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 पंचायत समिति बायतु ने उसी समय हल्का पटवारी को सभी सहखातेदारों की सहमति के बयान अंकित कर रिपोर्ट करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी उसी समय कैम्प में ही मात्र दो लाईन में टिप्पणी कर तथा वही कैम्प में सहखातेदारों के चार पांच लाईन में बयान लेकर, बयानों पर सहखातेदारों के हस्ताक्षर करवाये, तत्समय अपीलांटगण कैम्प में हाजिर नहीं थे। अपीलांटगण की अनुपस्थिति में ही हल्का पटवारी ने उतरदाता संख्या 01 साथ मिलीभगत करते हुए उक्त बयान पर अपीलांटगण के फर्जी व कुटरचित हस्ताक्षर तथा अगुष्ठ निशान किये गये तथा अपनी टिप्पणी के साथ उक्त बयान उसी दिन कैम्प प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये, उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदाता संख्या 01 को अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 से 14 के साथ मौजा मोराला व डाबलिया के खसरा संख्या 496, 74, 75, 76 व 77 में सहखातेदार घोषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में कहीं पर भी राजस्व वाद दर्ज करने व अपीलांटगण को नोटिस जारी करने का कोई हवाला नहीं है। हस्तगत प्रकरण में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रकार से वाद की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हुई है तथा एक सामान्य आवेदन पत्र पर समस्त कार्यवाही एक वाद के समान ही एक ही दिन में सम्पन्न कर एक अजनबी व्यक्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

को रिकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई अवसर दिये ही आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उतरदाता संख्या 01 ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के कैम्प बायतु में दिनांक 15.01.2011 को मात्र चार लाईन का सामान्य प्रार्थना–पत्र इस विषय "खातेदारी में नाम नहीं सो मेरी भूमि में नाम डालने के संबंध में" बाबत् पेश किया, जिस आवेदन में कोई खसरा संख्या, रकबा व गांव आदि का नाम तक अंकित नहीं है। जिस पर प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 पंचायत समिति बायतु ने उसी समय हल्का पटवारी को सभी सहखातेदारों की सहमति के बयान अंकित कर रिपोर्ट करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी उसी समय कैम्प में ही मात्र दो लाईन में टिप्पणी कर तथा वही कैम्प में सहखातेदारों के चार पांच लाईन में बयान लेकर, बयानों पर सहखातेदारों के हस्ताक्षर करवाये, तत्समय अपीलांटगण कैम्प में हाजिर नहीं थे। अपीलांटगण की अनुपस्थिति में ही हल्का पटवारी ने उतरदाता संख्या 01 साथ मिलीभगत करते हुए उक्त बयान पर अपीलांटगण के फर्जी व कुटरचित हस्ताक्षर तथा अगुष्ठ निशान किये गये तथा अपनी टिप्पणी के साथ उक्त बयान उसी दिन कैम्प प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये, उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदाता संख्या 01 को अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 से 14 के साथ मौजा मोराला व डाबलिया के खसरा संख्या 496, 74, 75, 76 व 77 में सहखातेदार घोषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में कहीं पर भी राजस्व वाद दर्ज करने व अपीलांटगण को नोटिस जारी करने का कोई हवाला नहीं है। हस्तगत प्रकरण में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रकार से वाद की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हुई है तथा एक सामान्य आवेदन पत्र पर समस्त कार्यवाही एक वाद के समान ही एक ही दिन में सम्पन्न कर एक अजनबी व्यक्ति को रिकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई अवसर दिये ही आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 14 को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उतरदाता संख्या 01 द्वारा पेश आवेदन में कोई खसरा संख्या, रकबा व गांव आदि का नाम तक अंकित नहीं है। उतरदाता संख्या 01 ने अपने आवेदन में चाही इस्तदुआ चाही गई उससे अधिक रिलीफ दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में कहीं पर भी राजस्व वाद दर्ज करने व अपीलांटगण को नोटिस जारी करने का कोई हवाला नहीं है। हस्तगत प्रकरण में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रकार से वाद की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हुई है तथा एक सामान्य आवेदन पत्र पर समस्त कार्यवाही एक वाद के समान ही एक ही दिन में सम्पन्न कर एक अजनबी व्यक्ति को रिकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई अवसर दिये ही आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की स्वीकार की जाती है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के आधार पर खसरा संख्या 496 में उतरदाता संख्या 1 को सहखातेदार दर्ज कर दिया तथा अन्य खसरा संख्या 74, 75, 76, 77 मौजा डाबलिया में वर्तमान उदयसिंह के फौत होने के बाद उनके वारिशासन के द्वारा उक्त वाद के निर्णय व डिक्री अनुसार म्यूटेशन पारित करने हेतु हल्का पटवारी से निवेदन किया गया, जिस पर हल्का पटवारी ने म्यूटेशन पारित करने से पूर्व रकर्डेड खातेदार अपीलांटगण को इस संबंध में जानकारी दी गई, जिस पर अपीलांटगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर समस्त कार्यवाही के बारे जानकारी हासिल की तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री नकल दिनांक 22.04.2019 को प्राप्त की तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में केवल एक आवेदन है जिसमें न

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तो गांव का नाम है, न ही खसरा संख्या एवं न ही रकबे का अंकन किया हुआ है। यह आवेदन धारा 88 के तहत घोषणा के दावे के रूप में किसी भी दृष्टि से ग्राहय नहीं है। सहखातेदारों के बयान भी विधिवत रूप से शिनाख्त होकर नहीं हुए है। बयानों में ग्राम मोराला के एक खसरा संख्या 496 रकबा 55.00 बीघा का कथन है, जबकि निर्णय में अन्य खसरों को भी बिना किसी इस्तदुआ अकारण शामिल कर दिया गया है। आलोच्य निर्णय स्वेच्छाचारी(Arbitrary), एकतरफा एवं विधि–विरूद्ध है जो कायम रखने लायक नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर बायतु द्वारा बअनवान उदयसिंह बनाम हीरसिंह वगैरा राजस्व वाद संख्या अंकित नहीं में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2011 को निरस्त किया जाता है।

17.6.19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.6.19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner